सम्यक विचारोपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि-

I. **ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं को त्वरित गति से, गुणवत्तापूर्ण रूप से एवं समयबद्ध ढ़ंग से क्रियान्वित किए जाने हेतु भविष्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक सचिव की तैनाती के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक अनुमोदन।**

II. **पंचायती राज विभाग उक्त व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए प्रथम चरण में कुल 4,372 ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों के सृजन की कार्यवाही करे।**

III. **उक्त के अतिरिक्त पृथक से यह प्रकरण मा० मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिव के पद पर पंचायती राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग के ग्राम्य स्तरीय अधिकारियों के मध्य पदों का वि[illegible]न हो या नहीं तथा यदि हो, तो कितना हो, जिससे सभी ग्राम पंचायतों में [illegible] की सुगमता एवं प्रशासनिक नियन्त्रण के परिप्रेक्ष्य में एक सचिव की व्यवस्[illegible] यथाशीघ्र कार्यान्वित कराया जा सके।**

अन्त में सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

Digitally signed by
ANIL KUMAR
Date: 19-06-2026
20...

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

[illegible]प्रदेश शासन
[illegible]यती राज अनुभाग-4
संख्या-270/33-4-2026
Com[illegible]: 1759417 File No.: 33-1099/166/2023
लखनऊ: दिनांक: जून, 2026

संख्या एवं दिनांक[illegible]

प्रतिलिपि: निम्न[illegible]खित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4- निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
4- गार्ड-फाइल।

Digitally signed by
JAI PRAKASH PANDEY
Date: 19-06-2026
19:46:41

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष सचिव।

(i) पंचायती राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 2970/33-1-2009-3762/08 दिनांक 01 सितम्बर, 2009, शासनादेश संख्या 667/33-12013-696/2000टी0सी0 दिनांक 25 फ़रवरी, 2013 एवं ग्राम्य विकास अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 192/2016/1392/38-1-2016-3569/ 2016 दिनांक 01 अगस्त, 2016 द्वारा लिए गए निर्णयों/ महत्वपूर्ण बिन्दुओं यथा-क्षेत्र पंचायत स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधीन एवं उसके नियन्त्रण में सहायक विकास अधिकारी (पं0) को क्षेत्र पंचायत के समस्त नियामक कार्यों का सम्पादन करने एवं पंचायती राज विभाग द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अनुश्रवण एवं निरीक्षण हेतु की गई व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना, सहायक विकास अधिकारी (पं0) को ग्राम [illegible] अधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि लिखने का अधिकार दिया जा[illegible] विकास अधिकारी की भर्ती में पदोन्नति कोटे में सहायक विकास [illegible]कारी (पं0) संवर्ग का पदोन्नति निर्धारित कर पदोन्नति प्रदान [illegible] सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही [illegible] हैं।

सर्वसहमति से यह मत स्थिर हुआ कि [illegible] सम्बन्ध में ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवचाही यथाशीघ्र की जाए।

(ii) पंचायती राज विभाग में [illegible] ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर अगले तीन वर्षों में प्रत्येक [illegible] सहाई अर्थात प्रथम वर्ष 4,372 पदों के सृजन के सम्बन्ध में [illegible] उ0प्र0 शासन के स्तर पर राष्ट्रीय ग्राम्य स्वराज अभियान [illegible]ए0) के अन्तर्गत स्टेट ऐक्जीक्यूटिव कमेटी की षष्ठम् बैठक [illegible]नवरी, 2017 के निर्णय के अनुपालन प्रथम चरण में कुल 4,[illegible] [illegible]चायत अधिकारी के पदों को सृजित किए जाने का मत स्थिर [illegible] था। ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों के अनुपात में ग्राम विकास अधिकारो के अतिरिक्त पद सृजित किए जाने हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अपनी विभागीय आवश्यकतानुसार स्वस्तर से आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं।

(iii) ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी का यूनिफाइड कैडर बनाए जाने पर सहमति नहीं बनी।

प्रदेश में लगभग 58,000 ग्राम पंचायतों में से ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारियों को मिलाकर लगभग 16,000 कार्मिक तैनात हैं तथा लगभग 42,000 ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव नहीं हैं, जिनका अन्य ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों व ग्राम विकास अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देते हुए उनसे काम लिया जा रहा है।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग में कुल 13,116 ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर अगले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एक तिहाई अर्थात 4,372 पदों के सृजन के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग एवं वित्त विभाग की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त किए जाने हेतु दिनांक 5 जून, 2026 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 5 जून, 2026 को सम्पन्न हुई।

बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति निम्नवत् रहीः-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री अनिल कुमार	प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग।
2.	श्री सौरभ बाबू	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।
3.	श्री गौरीशंकर प्रियदर्शी	आयुक्त, ग्राम्य विकास, ग्राम्य विकास विभाग।
4.	श्री अमित कुमार सिंह	निदेशक, पंचायती राज विभाग।
5.	श्री जय प्रकाश पाण्डेय	विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग।
6.	श्री पुष्पराज	विशेष सचिव, वित्त विभाग।
7.	श्री अजित प्रताप सिंह	संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।
8.	श्री चन्द्रिका प्रसाद	उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।
9.	श्री किशलय सिंह	अनु सचिव, पंचायती राज विभाग।
10.	श्री दिलीप कुमार दुबे	अनुभाग अधिकारी, पंचायती राज अनु-04।
11.	श्री गिरीश चन्द्र रजक	उप निदेशक (पं0), पंचायती राज निदेशालय।

बैठक में उपस्थित सदस्यों को सर्वप्रथम इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 12 मई, 2026 को सम्पन्न हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन व प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत अधिकारी के पद सृजित किए जाने/ पंचायत सचिव का यूनिफाइड कैडर बनाए जाने एवं इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में विचार कर मत स्थिर किए जाने हेतु दिनांक 25 मई, 2026 को सम्पन्न हुई बैठक एवं तद्नुसार पंचायती राज अनुभाग-4 द्वारा जारी कार्यवृत्त दिनांक 2 जून, 2026 के सम्बन्ध में निम्नानुसार अवगत कराया गयाः-